तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर और तारीख हुक्म में
7.8.20 प्रतिवादी नं. 3 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं (initials) 7/8/2020	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षी सं. 1, 2, 4 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिन्हें शा०प० किये गये। वकील प्रार्थी विपक्षी सं. 3 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तहसीलदार माण्डल से विवादित आराजियात की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा०प० किया गया। विपक्षीगण को तीन मर्तबा आवाजे दिलाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (signature) **उपखण्ड अधिकारी** **मांडल जिला भीलवाड़ा**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.22 13:01:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

ठासीन अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

कदमा संख्या – 27/20 प्रा.पत्र

श्री छगना S/o श्री चुन्नीलाल खटीक निवासी· केरिया तहसील-माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

श्री लक्ष्मीलाल S/o श्री बद्री व्यास निवासी-केरिया तहसील माण्डल (भीरा)
(प्रा·पत्र की फोटो कॉपी सलंग्न है)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 07-08-20

::आदेश::

र्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन या कि ग्राम.......केरिया.......पटवार हल्का.......केरिया.......तहसील माण्डल में उसके ाते /संयुक्त खाते की आराजी नं.......3529/2968.......कुल किता.......01.......रकबा.......01 घा.......—.......बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह हीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ....11.3.20.......को पंजीबद्व किया जाकर करण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की ा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को खते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

र्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.......केरिया .... पटवार हल्का.......केरिया.......तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की ाराजी नं.......3529/2968.......कुल किता.......01.......रकबा.......01 घा.......—.......बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये ाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक.......आलमास.......400/- पये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा रावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये खते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की ावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार त्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.22 13:01:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner